# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 25, 2018 (MAGHA 5, 1939 SAKA)

**हरियाणा सरकार**

आबकारी तथा कराधान विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 25 जनवरी, 2018

**संख्या 27/एसटी.–2** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017, (2017 का 19), की धारा 11 की उपधारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, अनुसूची में, –

(i) क्रम संख्या 102 में, खाना (3) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, जिसके अन्तर्गत घास, सूखी घास और पुआल भी हैं, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक [राइस ब्रान से भिन्न]";

(ii) क्रम संख्या 102क और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

| | | |
|---|---|---|
| "102क | 2302 | तेल रहित राइस ब्रान |
| 102ख | 2306 | बिनौले की खली"; |

(iii) क्रम संख्या 136क के सामने, खाना (2) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"7117";

(iv) क्रम संख्या 137 में, खाना (3) में, "अन्य औजार, जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "घमेला से भिन्न अन्य औजार, जिनका उपयोग कृषि, बागवानी या वानिकी में किया जाता है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(v) क्रम संख्या 148 में, खाना (3) में मद (v) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:–

"(V) विभूति";

(vi) क्रम संख्या 150 और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: –

| | | |
|---|---|---|
| "151 | कोई भी अध्याय | "सुनाई देने में सहायक उपकरण संबंधित कलपुर्जे"। |

**2.** यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

**HARYANA GOVERNMENT**

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

**Notification**

The 25th January, 2018

**No. 27/ST-2.—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

(1) in the Schedule,

(i) in serial number 102, for the entry in column (3), the entry "Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and husk of pulses, concentrates and additives, wheat bran and de-oiled cake [other than rice-bran]", shall be substituted;

(ii) for serial number 102A and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be substituted, namely: -

| | | |
|---|---|---|
| "102A | 2302 | De-oiled rice bran |
| 102B | 2306 | Cotton seed oil cake"; |

(iii) in serial number 136A, for the entry in column (2), the entry "7117" shall be substituted';

(iv) in serial number 137, in column (3), after the words "used in agriculture, horticulture or forestry" the words, "other than ghamella", shall be added;

(v) in serial number 148, in column (3), for the entry against item number (v), the entry "Vibhuti", shall be substituted;

(vi) after serial number 150 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be added, namely: -

| | | |
|---|---|---|
| "151 | Any chapter | "Parts for manufacture of hearing aids"; |

**2.** The notification shall come into force on the 25th January, 2018.

ASHIMA BRAR,
Special Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.